उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग–1
संख्या–2546ई–1/तेरह–2019
लखनऊः दिनांक 23 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

आबकारी विभाग में घटित होने वाले गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक होता है। कतिपय मामलों में अन्तर्ग्रस्त अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जॉच अलग–अलग अधिकारियों द्वारा करायी जाती है। विभाग में घटित गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध एक समग्र (Composite) विभागीय कार्यवाही एक साथ की जानी होगी तथा प्रकरण की जॉच हेतु एक ही जॉच अधिकारी नामित होगा।

उक्त के दृष्टिगत भविष्य में घटित होने वाले गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों इत्यादि के विरूद्ध एक समग्र (Composite) विभागीय कार्यवाही की जाय तथा अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक ही जॉच अधिकारी नामित किया जाय। अतः कृपया इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव

संख्या–2546 (1) ई–1/तेरह–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन।
3. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार।
4. गार्ड बुक, आबकारी अनुभाग–1

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव